

न्यायालय सभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/96

1. लालाराम पुत्र लादूराम उम्र 56 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
2. गुल्लाराम कुम्हार पुत्र श्री लादूराम कुम्हार उम्र 73 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
3. मोहन लाल पुत्र लादूराम उम्र 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
4. हरिनारायण पुत्र लादूराम उम्र 60 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
5. श्रीमती चैनसुख देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
6. जीतू पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश उम्र 20 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
7. अभिषेक पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश उम्र 18 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
8. अक्षिता पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरीये संरक्षक श्रीमती चैनसुख देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान ।
9. छोटूराम पुत्र गोपाल लाल उम्र 38 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
10. श्रीमती नंछी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चौथूराम उम्र 65 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
11. शंकरलाल पुत्र चौथूराम उम्र 35 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
12. सीताराम पुत्र चौथूराम उम्र 37 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमेडा मुंडियां रामसर रोड तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
13. कपिल अग्रवाल पुत्र श्री रामजी लाल अग्रवाल उम्र 42वर्ष निवासी मकान नंबर डी-263 दुर्गा मार्ग बनीपार्क जयपुर हाल निवासी 23 उद्यान पाठ राजेन्द्र नगर वैशाली नगर जयपुर ।
14. रामजीलाल अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल उम्र 69वर्ष निवासी मकान नंबर डी-263 दुर्गा मार्ग बनीपार्क जयपुर हाल निवासी 23 उद्यान पाठ राजेन्द्र नगर वैशाली नगर जयपुर ।
15. हेमंत अग्रवाल पुत्र श्री रामजी लाल अग्रवाल उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर डी-263 दुर्गा मार्ग बनीपार्क जयपुर हाल निवासी 23 उद्यान पाठ राजेन्द्र नगर वैशाली नगर जयपुर ।
16. खुशबू पुत्री किशन लाल प्लॉट नंबर 67, गणेश नगर-5, रेनबो स्कूल के सामने माचडा सीकर रोड जयपुर ।
17. चंद्र प्रकाश पुत्र किशन लाल प्लॉट नंबर 67, गणेश नगर-5, रेनबो स्कूल के सामने माचडा सीकर रोड जयपुर ।
18. सूरज पुत्र किशन लाल प्लॉट नंबर 67, गणेश नगर-5, रेनबो स्कूल के सामने माचडा सीकर रोड जयपुर ।
19. बिदामदेवी पुत्री लादूराम ग्राम पोस्ट मुंडोता वाया कालवाड़ जिला जयपुर ।

20. मन्ना पुत्री गोपाललाल ग्राम जाबड़ पोस्ट गूँदी वाया रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर।
21. सपत्ति पुत्री गोपाललाल प्लॉट नंबर 51, सावा की बगीची बालाजी विहार कालोनी बगरु जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. विनायक एंटरप्राइजेज जरिए निदेशक कार्यालय 21, गुलमोहर लेन, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हॉस्पिटल के सामने, खातीपुरा चौराहा, जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिए सचिव राम किशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर।

—रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 13 फरवरी 2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.02.2024 प्रार्थना पत्र संख्या 12 सन 2024 मेसर्स विनायक एंटरप्राइजेज बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य जिसमे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नक्शा संशोधित किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए

उपस्थित—

1. श्री रामचन्द्र शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री शिवसिंह चौधरी वकील रेस्पोंड 1 की ओर से।
3. श्री हीरालाल सैनी वकील रेस्पोंड 2 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—07.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर के निर्णय दिनांक 13.02.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.02.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंड संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम नीमेडा तहसील व जिला—जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नं 16/581, 16/582, 16/509 व 16/594 में जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में बरवक्त तरमीम हुई लिपिकीय त्रुटि की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी के रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिनांक 13.02.2024 को दिये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट लालाराम पुत्र लादूराम वगैरे द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर दिनांक 13.02.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉन्डेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो गई थी की अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि जो जमाबंदी में दी हुई है उससे राजस्व नक्शे के अनुरूप क्षेत्रफल कम है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि विनायक एंटरप्राइजेज के खसरा नंबर 16 594, 16 595, 308, 309/2, 309/3, 309/4 का जमाबंदी में कुल क्षेत्रफल 5.7414 हेक्टेयर है। जबकि नक्शे में दर्शित की गई सीमाओं की गणना किए जाने पर कुल क्षेत्रफल 5.9063 हेक्टेयर आता है। इस प्रकार 0.1649 हेक्टेयर मूल जमाबंदी के खसरे से अधिक नक्शे में दर्शित किया हुआ है, अर्थात् विनायक एंटरप्राइजेज के पास उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरों के जमाबंदी में दर्शित किए गए क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर नक्शे में दर्शित किया हुआ है तथा मौके पर भौतिक रूप से भी अधिक जमीन पर अतिचार कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मौके की एवं रिकॉर्ड की भिन्नता के सम्बंध में वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाए जाने की बजाय सीधे ही आदेश पारित कर दिया अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि जिन खसरा नंबरों का क्षेत्रफल अपीलार्थी गण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कम होना बताया गया है उसके लिए सीमाज्ञान करवाकर त्रुटि के संबंध में अग्रिम कार्रवाई किए जाने के लिए आदेश पारित किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय त्रुटि की संभावना तो समझ रहे हैं साथ ही साथ अपीलार्थी गण की जमीन में से रेस्पॉन्डेंट विनायक एंटरप्राइजेज को जमीन दिलवाकर और अधिक त्रुटि कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि अपीलार्थी के द्वारा जिन खसरा नंबरों में अपना जमाबंदी एवं नक्शे में अंतर बताया है उसकी संबंध में वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाते उसके पश्चात् ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलार्थीगण की खातेदारी की खसरा नंबर 9/1, 6/506, 9/507, 17, 18, 17/1, 17/2 16/509, 16/581, एवं 16 / 582 का जमाबंदी के हिसाब से कुल क्षेत्रफल 8.6124 हेक्टेयर होता है। जबकि राजस्व नक्शे में दर्शित की गई सीमाओं की गणना किए जाने पर कुल क्षेत्रफल 8.1104 हेक्टेयर ही निकलता है। अर्थात् अपीलार्थीगण का 0.5020 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम निकलता है। विकासकर्ता के पास खातेदारी से अधिक भूमि राजस्व नक्शे में दर्शित की हुई है तथा मौके पर खातेदारी से अधिक भूमि पर कब्जा लिए हुए हैं, फिर भी अनाधिकृत रूप से अपने आर्थिक बल एवं राजनीतिक बल तथा प्रभुत्व का उपयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर अनाधिकृत रूप से अनुमोदित नक्शे में नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के इरादे से दिनांक 8 सितंबर 2023 को जेडीए के साथ मिलकर विधि विरुद्ध कार्रवाई करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गोपाललाल पुत्र लादूराम के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो कि फौत हो चका था उसके वारिसान् को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया अर्थात् मरे हुये व्यक्तियों के खिलाफ अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक

तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुरनिर्णय दिनांक 13.02.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.02.2024 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोजेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोजेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाके ग्राम नीमेडा, तहसील व जिला जयपुर में रेस्पोजेण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 16/594 रकबा 0.7082 हैक्टेयर स्थित है। रेस्पोजेण्ट द्वारा उक्त भूमि आवासीय कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित कर दी गई। उक्त समर्पण करने के पश्चात नियमानुसार शुल्क अदा करने के उपरान्त तथा योजना अनुमोदन उपरान्त रेस्पोजेण्ट को बतौर निजी विकासकर्ता उक्त भूमि अधिनियम की धारा 90 (ए) उप धारा 7 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। रेस्पोजेण्ट उक्त भूमि पर बहैसियत विकासकर्ता काबिज है तथा आवासीय कॉलोनी विनायक सिटी विकसित की जा रही है। परन्तु बरवक्त तरमीम लिपिकीय त्रुटि से उक्त खसरा नम्बर 16/594 का राजस्व नक्शा रकबा 0.7082 के स्थान पर 0.6098 हैक्टेयर बना दिया गया। इसी तरह अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 16/509 जिसका रकबा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व नक्शे में 0.2656 के स्थान पर 0.3446 अंकित कर दिया गया। अंकित करते हुये रेस्पोजेण्ट के खसरा नम्बर 16/594 व हाल अपीलार्थीगण की खसरा नम्बर 16/509, 16/581 व 16/582 में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार दुरुस्ती हेतु अनुतोष चाहा। रेस्पोजेण्ट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये हाल रेस्पोजेण्टगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। हाल अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुये हाल रेस्पोजेण्ट के खसरा नम्बर 16/594 का रकबा कम होना व स्वयं के खसरा नम्बर 16/509 का रकबा 0.2656 के स्थान पर 0.3852 होना स्वीकार किया।

रेस्पोजेण्ट मैसर्स विनायक एन्टरप्राइजेज की आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 को अपीलार्थी की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण की आराजी में स्थित खसरा नम्बर 18 गै.मु.चाह को मुश्किल बिन्दु मानते हुये जरीब चलाकर किया गया तथा इसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के दिनांक 24.07.2023 के निर्देशानुसार भी रेस्पोजेण्ट द्वारा पीटी सर्वे करवाया गया जिसमें भी रेस्पोजेण्ट के कथनों की पुष्टि हुई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में आराजी खसरा नम्बर 16/581, 16/582, 16/509 व 16/594 के राजस्व नक्शे में जमाबन्दी के रकबे के अनुसार आदेश की अनुपालना में नक्शा दुरुस्त किया जा चुका है, जिसका नक्शा पेश किया गया है। अपीलार्थी ने मैसर्स विनायक सिटी के पास भूमि अधिक अंकित होना करते हुये मैसर्स विनायक सिटी के मात्र 6 खसरा नम्बरों का अंकन किया है जबकि उक्त आवासीय योजना लगभग 62 खसरा नम्बरों में विकसित की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र 6 खसरा नम्बरों के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि रेस्पोजेण्ट के पास जमीन का रकबा कम या अधिक है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में


रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 308 जो कि अपीलार्थी की आराजी सीव जोड भी नहीं है, का रकबा 0.2882 अधिक होना अंकित किया है खसरा नम्बर 308 के सीव जोड रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 311 के रकबे को बदनियती पूर्वक अपीलार्थी ने अपनी अपील व परीक्षण न्यायालय के समक्ष कोई उल्लेख नहीं किया क्योंकि 308 के सीव जोड खसरा नम्बर 311 का रकबा जमाबंदी में अंकित रकबे से राजस्व नक्शा में 0.3116 कम है। अपीलांट का यह उज्र कि गोपाल पुत्र लादूराम के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत है, वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 गोपाल लाल पुत्र लादूराम क फौत हो जाने पर उसकी समस्त विधिक वारिसान द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुये सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग लिया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जाँच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी, जोन 12 जयपुर विकास प्राधिकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 16/594 पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों का जवाब मय दस्तावेजात हाल अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिनका राजस्व एवं तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया जाकर विधिक कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.08.2023 को अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त अतिक्रमण पाथ-वे व पार्किंग एरिया में किया जाना स्पष्ट हुआ जिसको दिनांक 08.09.2023 को स्थानीय पुलिस व जेडीए के प्रवर्तन जाब्ता व जोन-12 की राजस्व टीम व तकनीकी टीम की उपस्थिति में निशादेही पर मौके पर अतिक्रमण हटाया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि हाल अपीलांट द्वारा विधि विरुद्ध गलत राजस्व नक्शा के आधार पर रेस्पोडेन्ट मैसर्स विनायक की आवासीय कॉलोनी व जेडीए के स्वामित्व की भूमि के पाथ-वे एवं पार्किंग एरिया पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किया गया जिसे विधिवत रूप से जेडीए द्वारा हटाया गया है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2024 व 15.02.2024 के विरुद्ध अपील गलत तथ्य अंकित करते हुये प्रस्तुत की है। अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

- हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम नीमेडा तहसील व जिला-जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नं 16/581, 16/582, 16/509 व 16/594 में जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में बरवक्त तरमीम हुई लिपिकीय त्रुटि की भिन्नता को लेकर है। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शों में लिपिकीय त्रुटि के दुरुस्ती के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करजमाबन्दी के रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है किपटवारी हल्का नीमेडा ने अपनी बिन्दूवार रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बरों की जमाबंदी अनुसार रकबा बरारी करने पर वर्तमान नक्शों में भिन्नता है एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपनी अपील में रकबा बरारी सूची में स्वयं ने यह कथन

किया है कि उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी एवं नक्शे में भिन्नता है। ऐसे में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोजेन्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 16/594 रकबा 0.7082 हैक्टेयर है। तरमीम में हुई लिपिकीय त्रुटि से उक्त खसरा नम्बर 16/594 का राजस्व नक्शा रकबा 0.7082 के स्थान पर 0.6098 हैक्टेयर बना दिया गया है। अपीलार्थी की आराजी से रेस्पोजेन्ट का मात्र एक खसरा नम्बर 16/594 सिंवजोड है जिसका भी जमाबंदी अनुसार राजस्व नक्शा व रकबा कम था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरुस्त किया गया है। खसरा नं. 16/594 के अलावा रेस्पोजेन्ट का कोई भी खसरा नम्बर अपीलार्थीगण की आराजी से सिंवजोड नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की आराजी के राजस्व नक्शा में दुरुस्ती उनके सिंवजोड खसरा नं. से ही होना कानूनन संभव है। अपीलार्थी सर्वप्रथम अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी की वास्तविक भौतिक कब्जे की सक्षम अधिकारी से सीमाज्ञान करवाये तब ही अपीलार्थीगण का रकबा राजस्व नक्शे में कितना कम व अधिक है एवं अपीलार्थीगण के चारों दिशाओं में स्थित आराजीयात में किस खातेदार की भूमि में रकबा पूर्ति होती है, स्पष्ट हो पायेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट, जवाब अपीलार्थीगण के अवलोकन पश्चात् विधिवत् ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 स्वीकार किये जाने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांत निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर का निर्णय दिनांक 13.02.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.02.2024 यथावत रखा जाता है।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर